

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 01/2019

प्रार्थी

केसाराम लखारा पुत्र तलकाराम जी, जाति- लखारा, निवासी- दांतराई, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, दांतराई जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, दांतराई, तह. रेवदर, जिला-सिरौही

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:


- (1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी की ओर से
- (2) अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, अप्रार्थी की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 28 जून, 2024

- (1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांक: 118 दिनांक 09.12.2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
- (2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत, दांतराई से संबंधित रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां भी प्राप्त की गईं।
- (3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के किरायेदारी वाला परिसर ग्राम दांतराई में बस स्टेण्ड के पास आया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त परिसर की भूमि व्यवसाय हेतु प्रार्थी को वर्ष 1989 में किराये पर दी व कब्जा सुपर्द किया था। प्रार्थी ने उक्त स्थान पर काफी रकम खर्च कर परिसर का निर्माण कार्य करवाया तथा अपना व्यवसाय स्थापित किया। प्रार्थी द्वारा उक्त परिसर में महादेव कंगन स्टोर्स के नाम से चुडीयां विक्रय करने का कार्य किया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त परिसर का किराया प्रतिमाह रुपये 80/- की दर से ग्राम पंचायत में जमा करवाया जाता रहा है। प्रार्थी ने उक्त परिसर को ग्राम पंचायत, दांतराई से किराये पर लिया है एवं प्रार्थी किरायेदार की हैसियत से मौके पर काबिज होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत, दांतराई ने प्रार्थी का अतिक्रमण बताकर हटाने का नोटिस जारी किया है। जिस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, दांतराई में उपस्थित होकर जवाब व किराया अदायगी की रसीदे प्रस्तुत लेकिन ग्राम पंचायत, दांतराई के तत्कालीन सरपंच ने द्वेष भाव के कारण प्रार्थी के किरायेदारी भूमि को अतिक्रमण बताकर प्रार्थी के किरायेदारी वाले परिसर को तोड़ने का आदेश पारित किया है। प्रार्थी ने किरायेदारी वाले उक्त परिसर में ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त कर बिजली का कनेक्शन वर्ष 1980 में लिया था जो आज भी यथावत है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थी विवादित भूमि तथा दुकान पर ग्राम पंचायत का वर्ष 1989 से किरायेदार है और उक्त परिसर में काबिज होकर व्यवसाय कर रहा है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है, जो उक्त किराये की भूमि में व्यवसाय कर अपने

....पेज दो पर


अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)



परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अन्य कोई व्यवसाय भूमि नहीं है। यदि प्रार्थी को उक्त किराये की भूमि से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी का रोजगार समाप्त हो जायेगा। यह कि ग्राम पंचायत, दांतराई ने प्रार्थी को उसके किरायेदारी की भूमि से बेदखल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164(4) के तहत किराये के परिसर को खाली करवाने के लिये विधिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिनियम, जिला परिषद, सिरौही को ही है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को किराये पर दी गई भूमि को अतिक्रमण बताकर कानूनन नहीं हटाया जा सकता है। यह कि ग्राम पंचायत, दांतराई ने प्रश्नगत नोटिस जारी करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। यहां तक कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(3) के तहत अतिक्रमी को भी सुनवाई हेतु अवसर दिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकारर किया जाकर ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 118 दिनांक 09.12.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा 9x9 कुल 81 वर्गफीट भूमि केबिन रखने हेतु किराये पर दी थी और उसी भूमि पर प्रार्थी केबिन रखकर व्यवसाय करता रहा है। प्रार्थी ने कोई राशि खर्च कर किसी भी परिसर का निर्माण नहीं करवाया है। प्रार्थी द्वारा 9x9 कुल 81 फीट भूमि में ही केबिन रखकर महादेव कंगन स्टोर्स के नाम से चूडिया विक्रय करने का कार्य किया जाता रहा है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत को परिसर का नहीं बल्कि केबिन का किराया जमा करवाया है वो भी कभी कभी जमा करवाया है। प्रार्थी को पंचायत ने केबिन की भूमि माहवार 130/- रुपये में किराये पद दी थी, लेकिन प्रार्थी ने केबिन के चारों तरफ की 16.6-x16 फीट भूमि पर अतिक्रमण कर मौके पर दो पक्की दुकानों का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया। जिस पर ग्रामवासियों द्वारा शिकायत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी द्वारा केबिन भूमि के अलावा किये गये अतिक्रमण/पक्के निर्माण को हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी ने केबिन के चारों ओर केबिन की आड में पक्की दुकानों का निर्माण किया है, जो अतिक्रमण है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को अस्थाई उपयोग हेतु केबिन रखने के लिये भूमि किराये पर दी गई थी, लेकिन प्रार्थी ने किराये पर केबिन रखने हेतु दी गई भूमि के आड में किराये पर दी गई भूमि से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया है, इसलिये ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा प्रार्थी केसाराम पुत्र तलकाराम, जाति-लखारा, निवासी- दांतराई के विरुद्ध स्थगन आदेश एवं नोटिस क्रमांक 118 दिनांक 09.12.2018 को इस आशय का जारी किया गया है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम दांतराई के बस स्टेण्ड पर पंचायत की आबादी भूमि में पक्का निर्माण कराया जाकर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे तत्काल प्रभाव से रोककर अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे एवं इस भूमि की मालिकी के संबंध में यदि कोई दस्तावेज/साक्ष्य हो तो ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करे तथा यदि उक्त भूमि के संबंध में कोई साक्ष्य है तो पंचायत से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण कार्य करे।

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)



पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत, दांतराई द्वारा केबिन रखने हेतु किराये पर दी गई केबिन भूमि के अलावा प्रार्थी द्वारा मौके पर केबिन के चारों तरफ की भूमि पर अतिक्रमण कर 16.6x16 वर्गफीट भूमि पर पक्की दुकानों का निर्माण करवाया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि पर पक्की दुकानों का निर्माण करवाया गया है वह भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 163 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि को अस्थाई उपयोग हेतु किराये पर दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 163 के तहत अस्थाई उपयोग हेतु किराये पर दी गई भूमि पर किरायेदार द्वारा पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रार्थी ने केबिन रखने हेतु किराये पर दी गई भूमि के चारों तरफ पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर पक्की दुकानों का निर्माण करवाया गया है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28 जून, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही